आर एस डब्लू एम लिमिटेड

सीआईएन: **L17115RJ1960PLC008216**
पंजीकृत कार्यालय: खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा-311021, राजस्थान
फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479
कॉर्पोरेट कार्यालय : भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.)
फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841
ईमेल: rswm.investor@lnjbhilwara.com; वेवसाइट: www.rswm.in

RSWM Limited
an LNJ Bhilwara Group Company

अंशधारकों हेतु सूचना

अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) खाता में हस्तांतरण

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार)

कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम 2016) के प्रावधानों एवं तत्पश्चात् संशोधित के अनुपालन में अंशधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है। आईईपीएफ नियम 2016 में, अन्य मामलों के अतिरिक्त, ऐसे सभी अंशों जिनके सम्बन्ध में लगातार गत् सात बर्षों लगातार लाभांश की अदायगी अथवा अंशधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया हो, को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को निर्धारित तौर पर हस्तांतरण हेतु प्रावधान शामिल हैं।

अतः ऐसे सभी अंतर्निहित अंशों को, जिनके सम्बन्ध में गत् 7 (सात) वर्षों, वित्तीय वर्ष 2010–11, से लाभांश की अदायगी/दावा नहीं किया गया है, को कथित नियम के अनुसार आईईपीएफ के डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाना है।

कंपनी ने ऐसे अंशधारकों, जिनके लाभांश का दावा गत् (7) सात वर्षों से नहीं किया गया है, को शीघ्र लाभांश का दावा करने हेतु सलाह देते हुए, उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर, व्यक्तिगत सूचना प्रेषित की है। कंपनी ने ऐसे सभी अंशधारकों का पूर्ण विवरण, उनका नाम, फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी सहित, अपनी वेबसाइट अर्थात् www.rswm.in पर अपलोड कर दिया है।

तदनुसार, संबंधित अंशधारकों से अनुरोध है कि वे उत्तर दें तथा अपने सभी लाभांश का दावा नियत तिथि से पूर्व कर लें। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु गैर–दावाकृत अंतरिम लाभांश 10 मार्च, 2018 को हस्तांतरण हेतु देय हो जाएगा तथा 9 अप्रैल 2018 अथवा उसके पूर्व हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यदि कंपनी/रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट को अंशधारकों से कोई संवाद प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी ऐसे अंशों को आईईपीएफ के डीमैट खाते में स्थानांतरित करने हेतु बाध्य होगी। अंशधारक ध्यान में रखें कि भौतिक अंशों के हस्तांतरण के मामले में कंपनी डुप्लिकेट अंश प्रमाण पत्र जारी करेगी और आईपीईएफ प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए डिपॉजिटरी को इन्हें डीमैटेरियलाइज करने हेतु सूचित करेगी और डीमैट प्रकार के अंशों के सम्बन्ध में, यह डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) की मदद से सीधे आईपीईपी प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इन अंशों के सम्बन्ध में कम्पनी के विरूद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

हांलाकि, अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईइपीएफ को हस्तांतरित अंशों को सभी एकत्रित लाभों सहित (राइट्स इशू के अतिरिक्त), यदि हो, आईपीईपी प्राधिकरण से आईइपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, पुनः दावा कर के प्राप्त किया जा सकता है। इस मामले पर किसी भी स्पष्टीकरण हेतु, अंशधारक रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
(यूनिटः आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड)
एफ–65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज –1, नई दिल्ली–110 020
फोन नंबर 011–41406149–52, फैक्स नंबर 011–41709881
ईमेल आईडीः helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

कृते **आर एस डब्लू एम लिमिटेड**

दिनांक : 19.12.2017
स्थान : नोएडा (उ.प्र.)

सुरेन्दर गुप्ता
कम्पनी सचिव